राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
जयपुर

क्रमांकः एफ.1/पी.ए./2020 S20 - 30 दिनांकः 5–6–2020

दिशा–निर्देश

निर्देशानुसार, भारत–सरकार एवं राजस्थान सरकार के दिशा–निर्देशों के आधार पर संस्थान में लॉकडाउन 5.0 (दिनांक 1 से 30 जून 2020) के क्रम में संस्थान के अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र–छात्रों एवं आगन्तुकों हेतु निम्नलिखित निम्नलिखित दिशा–निर्देश (गाईडलाईन्स) प्रसारित किये जाते हैं । यह गाईडलाईन कार्यस्थल पर समुचित सावधानी एवं सुरक्षा उपायों द्वारा सामान्य स्थिति की बहाली पर आधारित है एवं संस्थान के समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र–छात्राओं एवं आगन्तुकों हेतु स्व–नियमन (Self Regulation) अपेक्षित है। एक जिम्मेदार संस्थान में होने के नाते अपने साथियों एवं आम जनता में नोवल कोरोनावायरस (COVID-19) के प्रसार को सीमित करने एवं रोकने के लिए यह सावधानी अनिवार्य है एवं इसकी जागरुकता फैलाना आवश्यक है।

1. संस्थान द्वारा 19–3–2020 को संस्थान की वेबसाईट पर जारी एडवाइजरी का सभी पालन करें।
2. संस्थान परिसर में चेहरे पर मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है।
3. हाथ अस्वच्छ नहीं दिखाई देने पर भी हाथों को बार–बार साबुन से धोवें (40–60 सैकण्ड़ तक)। जहाँ कहीं संभव हो अल्कोहल बेस्ड सेनेटाईजर का प्रयोग करें । (ध्यान रहे अत्याधिक सेनेटाईजर का प्रयोग त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है ।
4. श्वसन शिष्टाचार का संख्ती से पालन किया जाये। खांसतें एवं छींकते समय अपने मुंह एवं नाक को रुमाल/टिश्यू/कोहनीयों को मोड़ कर ढंके तथा प्रयोग किये गये टिश्यू को समुचित रूप से नष्ट करे।
5. संस्थान परिसर में हाथ की स्वच्छता, श्वसन स्वच्छता एवं पर्यावरण स्वच्छता बनाये रखें।
6. संस्थान परिसर में सभी जनों द्वारा सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट ''दो गज की दूरी'') की पालना की जायें ।
7. संस्थान परिसर में थूकना निषिद्ध है ।
8. संस्थान परिसर में धूम्रपान, शराब, पान, गुटका, तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतः निषिद्ध है।
9. सभी को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सतह जो सार्वजनिक सम्पर्क में हो, जैसे दरवाजे का हैण्डल, को छूने के उपरान्त साबुन व पानी से हाथ धोयें/सेनेटाईजर का उपयोग करें ।
10. सभी को अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतू ऐप डाउनलोड कर उसका प्रयोग करना चाहिए ।
11. आयुष प्रोफेशनल्स को अपने मोबाईल फोन में 'आयुष संजीवनी एप' डाउनलोड कर उसका प्रयोग करना चाहिए ।
12. संस्थान में प्रवेश करते समय मुख्य द्वारा पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरें ।
13. संस्थान के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र–छात्राऐं अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करें यदि किसी रोग के लक्षण पाये जाते हैं तो तुरन्त अपने निकटतम उच्च अधिकारी को सूचित करें ।
14. किसी भी कर्मचारी या विद्यार्थी में सर्दी, जुकाम, खांसी या बुखार आदि लक्षण हो को संस्थान में या कार्यस्थल पर प्रवेश वर्जित करें एवं चिकित्सीय सलाह के लिए बाध्य करें ।

15. संस्थान में राजस्थान राज्य से बाहर से कार्यस्थल पर आ रहे अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र–छात्राऐं विशेषरूप से 14 दिवस तक अपने स्वास्थ्य की स्वयं–निगरानी करें । यदि कोई लक्षण दिखें तो तुरन्त अपने विभागाध्यक्ष/डीन/होस्टल वार्डन को सूचित करें ।
16. जो रोग सूचक पाये जाये जाने की स्थिति में आईसोलेटेड़ रहना होगा तथा स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सा प्राप्त करें ।
17. मध्यम अथवा गंभीर लक्षण वालों को कोविड स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर भर्ती होकर कर प्रबन्ध करावें।
18. हल्के लक्षण पाये जाने वालों को 7 दिवस तक घर में अथवा संस्थागत एकांतवास में रहने का विकल्प है।

कार्यालय हेतु निवारक उपाय

1. संस्थान के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर हाथ स्वच्छता (Hand Hygiene) तथा थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना आवश्यक है ।
2. संस्थान के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों के ऊपर 'बिना मास्क संस्थान में प्रवेश वर्जित है' के बोर्ड लगवायें।
3. कोराना के बिना लक्षण वाले कर्मचारी/आगन्तुकों को ही संस्थान में प्रवेश दिया जाये ।
4. कन्टेनमेन्ट जोन में निवास करने वाले स्टॉफ द्वारा अपने उच्च अधिकारी को सूचित करना चाहिए तथा कन्टेनमेन्ट डिनोटिफाईड होने तक कार्यालय में नहीं आना चाहिए । ऐसे स्टॉफ को वर्क फ्रॉम होम के लिए अनुमति होगी तथा इसे अवकाश काल की गणना सम्मिलित नहीं किया जाये ।
5. संस्थान में आवश्यक मात्रा में हैण्ड सेनेटाइजर्स की उपलब्धता सुनिश्चित करें ।
6. वाहनों को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन/स्प्रै से किटाणुशोधन (Disinfection) करें । स्टेयरिंग, दरवाजों के हैण्डल, चाबियाँ आदि को समुचित रूप से किटाणुशोधन (Disinfection) करें ।
7. संस्थान परिसर को रोजाना सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन अथवा अन्य केमीकल से दो बार सेनेटाईजिंग एवं फर्श को साफ करें ।
8. उन सभी कर्मचारियों को जो उच्च स्तरीय जोखिम यथा – अधिक आयु वाले, गर्भवती महिलायें एवं वे कर्मचारी जो चिकित्सा ले रहे हैं को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त रूप से सावधानी रखें।
9. कार्यालय परिसर में चेहरे पर मास्क पहने स्टॉफ/आगन्तुकों को ही प्रवेश दिया जाये । संस्थान परिसर में हर समय मास्क पहना होना आवश्यक है ।
10. अगन्तुकों को समुचित स्क्रीनिंग के पश्चात वे जिस अधिकारी से मिलना चाहते हैं उसकी समुचित अनुमति के पश्चात ही प्रवेश देवें ।
11. जहां तक संभव हो उपवेशनों का आयोजन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करें।
12. संस्थान के प्रमुख स्थलों पर कोविड–19 से सम्बन्धित सावधानियाँ बरतने सम्बन्धित दिशा–निर्देशों के बैनर लगाये जावें ।
13. जहाँ तक संभव हो मध्यान्ह (लंच ब्रेक) में बारी–बारी से जावे ।

14. संस्थान परिसर के बाहर भी विभिन्न स्थलों यथा पार्किंग, दुकानों इत्यादि पर सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट ''दो गज की दूरी'') की पालना की जायें ।
15. संस्थान में आगन्तुकों के बैठनें हेतु व्यवस्था इस प्रकार हो कि जिससे सामाजिक दूरी (न्यूनतम 6 फीट ''दो गज की दूरी'') की पालना सुनिश्चित हो जायें।
16. कार्यस्थल समुचित रूप से स्वच्छ एवं बार–बार सेनेटाईज किये जायें, विशेषरूप से बारम्बार छूनें वाले स्थलों पर स्वच्छता एवं सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।
17. लिफ्ट में इतने ही को प्रवेश दिया जावे कि सामाजिक दूरी की पालना हो जायें।
18. ऐयर कण्डीशनर का तापमान समुचित रखें ।
19. आगन्तुकों एवं कर्मचारियों द्वारा छोड़े/उतारे गये फेस कवर/मास्क/ग्लोव का समुचित रूप से निष्पादन करें ।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त भारत–सरकार एवं राजस्थान–सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराई जायें ।

संयुक्त–निदेशक(प्रशासन)

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं पालनार्थ –

1. समस्त विभागाध्यक्ष
2. समस्त अधिष्ठाता
3. उपाधीक्षक(चिकित्सालय)
4. संयुक्त निदेशक(प्रशासन)
5. आवासीय चिकित्साधिकारी(आरोग्यशाला/बम्बईवाला चिकित्सालय)
6. समस्त हॉस्टल वार्डन
7. प्रशासनिक–अधिकारी
8. लेखाधिकारी
9. स्टोर ऑफिसर
10. समस्त प्रभारी (बहिरंग विभाग, सम्पदा, रसायनशाला, पुस्तकालय, आईटी, स्टोर)
11. समस्त शाखा/अनुभाग (प्रतिष्ठापन, गोपनीय शाखा, शैक्षणिक, लेखा, स्टोर, पुस्तकालय, छात्रावास)
12. निजी सहायक निदेशक

संयुक्त–निदेशक(प्रशासन)